संख्या–15/20/95–का–4–2012

प्रेषक,

कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4

लखनऊ : दिनांक : 14 मार्च, 2012

विषयः–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को समय से अधियाचन प्रेषित किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 30.9.1991, दिनांक 2.1.1996, दिनांक 27.5.1997, दिनांक 9.8.2007, दिनांक 29.12.2008, दिनांक 5.10.2009, दिनांक 23.11.2009, दिनांक 28.10.2010 एवं दिनांक 3.10.2011 के द्वारा आपसे यह अनुरोध किया गया है कि समय से चयन की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु, सम्पूर्ण सूचनाओं का समावेश करते हुए, संबंधित पदों के अधियाचन 02 वर्ष पूर्ण लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिये जायें। शासनादेश दिनांक 3.10.2011 में यह भी निर्देश दिये गये थे कि सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2012 में सम्मिलित किये जाने वाले पदों के अधियाचन प्रत्येक स्थिति में दिनांक 30.10.2011 तक आयोग को उपलब्ध करा दिये जायें।

2. लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश दिनांक 3.10.2011 में दिये गये निर्देशों के बावजूद अभी तक मात्र 08 विभागों द्वारा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2012 के अधियाचन उपलब्ध कराये गये हैं। उक्त परीक्षा में सम्मिलित किये जाने वाले महत्वूर्ण पदों, जैसे–डिप्टी कलेक्टर, सहायक आयुक्त वाणिज्यकर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधीक्षक कारागार, जिला बचत अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, उपनिबंधक, वाणिज्य कर अधिकारी, जिला कमाण्डेंट होमगार्ड्स आदि पदों के अधियाचन अभी तक आयोग को प्रेषित नहीं किये गये हैं।

3. उपर्युक्त के संबंध में आपसे निम्नवत् अनुरोध करने का मुझे पुनः निदेश हुआ है:–

(1) सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2012 में सम्मिलित किये जाने वाले अवशेष समस्त पदों के अधियाचन विलम्बतम दिनांक 30.3.2012 तक आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अधियाचनों में समस्त सूचनाओं का समावेश करते हुए, सेवानियमावली की प्रति (हिन्दी/अंग्रेजी) उपलब्ध कराते हुए, लम्बवत् एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति भी स्पष्ट करने का कष्ट करें । अधियाचन प्रेषित किये जाते समय, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 9.8.2007 के प्राविधानों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय। यदि विकलांगजन हेतु क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत कोई रिक्ति आरक्षित की जानी हो, तो शासनादेश दिनांक 13.1.2011 के अनुसार स्पष्ट चिन्हांकन/विकलांगता का उल्लेख करते हुए, कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 3.2.2008 के प्रस्तर–24 के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

(2) आयोग द्वारा सम्पादित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं/चयनों के अधियाचन भी यथाशीघ्र आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

(3) विभिन्न चयनों एवं परीक्षाओं के अधियाचनों के संबंध में आयोग द्वारा की जाने वाली पृच्छाओं/संवीक्षाओं का उत्तर समयबद्ध रूप से आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

4. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

14.3.2012

(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव

संख्या–15/20/95(1)–का–4–2012, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या–308(1)/4/ई–1/2011–2012, दिनांक 16.2.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

(राम बहादुर)
विशेष सचिव